**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली**

**पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.**

**राजस्व अपील : 56/2015**

**अपीलांट**

1. खीमसिंह पुत्र चतरसिंह जी
2. हरीसिंह पुत्र चतरसिंहजी
3. सीता बेवा चतरसिंहजी
4. भंवरसिंह पुत्र करणसिंह जी
5. बालुसिंह पुत्र करणसिंहजी
6. गंगा बेवा करणसिंहजी जातिगण पुरोहित निवासीगण राणा तहसील रोहट जिला पाली।

**बनाम**

**रेस्पोडेन्ट्स**

1. रूपा पुत्र जीवाजी जाति पीटल निवासी सरदारपुरा की ढाणी तहसील रोहट जिला पाली।
2. राजस्थान राजय द्वारा तहसीलदार रोहट जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01

राजपेरोकार रेस्पोडेंन्ट संख्या 02 की ओर से

**–: निर्णय :–**

दिनांकः– 09.08.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी रोहट द्वारा प्रकरण संख्या 65/2013 में पारित आदेश दिनांक 12.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता प्रदान कराने की मांग की। जिस पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बिना किसी आधार बिना किसी साक्ष्य के ही 30 फीट चौडा रास्ता दिये जाने का आदेश प्रदान किया है, जबकि कृषि कार्य हेतु 30 फीट चौडे रास्ते की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलांटगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 7 का आपस में अर्सेदाराज पूर्व मोके पर विभाजन हो रखा है एवं अलग–अलग मांठे इत्यादि कायम की हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश द्वारा अपीलांट संख्या 1 के हिस्से में रही भूमि 2 भागो में विभक्त हो रही है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमर्जी से 2 अलग–अलग रिपोर्ट मंगवाकर इच्छा माफिक रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.10.2013 को भी आर.आई की रिपोर्ट पेश हुई थी। उसके पश्चात दिनांक 12.06.2015 को दुबारा रिपोर्ट पेश हुई। उक्त दोनो रिपोर्टो में भारी विरोधाभाष है। खसरा नंबर 7 में सभी सहखातेदारो के मध्य विभाजन की मांठे लगी हुई है और विभाजन अनुसार खसरा नंबर 15 की तरफ जो मांठ लगी हुई है उस मांठ के सहारे–सहारे ही अधिकतम 8–10 फीट चौडा रास्ता दिलाया जा सकता था, जिसे आगे खसरा नंबर 6 में इसी अनुरूप दर्ज करते हुए खसरा नंबर 5 तक ले जाया जाना आवश्यक था, क्योंकि खसरा नंबर 5 भी अपीलांट संख्या 1 के हिस्से में आई हुई है ऐसी स्थिति में खसरा नंबर 5 में जाने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पास कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को कैम्प कोर्ट का कोई नोटिस नहीं दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को नोटिस दिये पत्रावली कैम्प राणा में पेश होना बताकर बिना अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो का प्रत्युत्तर देते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता प्रदान कराने की मांग की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार रोहट द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकन है कि रेस्पोडेन्ट की भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा चाहा गया मार्ग सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं होकर आत्यांतिक आवश्यक है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत संक्षिप्त कार्यवाही/प्रक्रिया अपनाते हुए काश्तकारों को राहत प्रदान करने के प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध हुआ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का विवेचन करते हुए रास्ते की आत्यांतिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आवश्यकता सिद्ध होने पर जैर अपील आदेश के जरिये रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर प्रार्थी एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि ग्राम राणा के खसरा नंबर 7 रकबा 30 बीघा 15 बिस्वा भूमि में आवागमन हेतु अपीलाण्टगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 7 रकबा 196 बीघा 19 बिस्वा में से रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार रोहट द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण को राजस्व कैम्प में उपस्थित होने बाबत कोई नोटिस अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नहीं है। जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को सुनवाई का पूर्णतया अवसर प्रदान नही किया गया। इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश कैम्प कोर्ट में पारित किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006(4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि Legal Services Authorities Act 1987, Section 20- Power of disposal of cases by Lok Adalat- No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are "compromise" and "settelment" The former expression means settlement of differences by mutual concessions. it is an agreement reached by adjustment of confficting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms de la Ley, compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise" implies some element o accommodation on each side. it is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settelment" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat" इसी प्रकार एस0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त न्यायिक सिद्धान्तों से यह स्पष्ट है कि राजस्व लोक अदालत के माध्यम से निर्णय पारित करने हेतु दोनो पक्षों की उपस्थिति एवं उनमें राजीनामा होना आवश्यक है, बिना राजीनामे के लोक अदालत के तहत आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतया प्रभावित होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना कैम्प कोर्ट में विधि विरूद्ध तरीके से जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा उपखंड अधिकारी रोहट द्वारा प्रकरण संख्या 65/2013 में पारित आदेश दिनांक 12.06.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के आज्ञापक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत आदेश पारित करें। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.08.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली